#### हाईस्कूल परीका

पेचक.

क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में.

प्रबन्धक.

वा बा बस्म प्रताद उ मा वि रामपुर, कहरा - देवरियां पत्रांकः माठशिवपव/मान्यता/वाराणम्, 265

*[*दिनांक: 21-10-2008

विषय: सीधे/हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में। महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने <u>इण्टरमीडिए शिक्षा (संशोधत) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था — बी बा वट में पुना द उ• भा•िए</u> को बालक/ब्यलिका

विद्यालय के रूप में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष — 2010 की परीक्षा — कि परीक्षा समान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्त विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

#### सामान्य प्रतिबन्ध

- 1-- प्रबन्धतंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें ।
- 2-- इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 3-- साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय ।
- 4-- इस पत्र में ऑकत विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरवायी होगी ।
- 5-- विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने श्रोतों से की जाय।
- 6-- नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगें । विशेष प्रतिबन्ध
- क-- संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी । ख--

टिप्पणी-- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति छः माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

पुष्ठांकन संख्याः मा०शि०प०/मान्यता/

/दिनांकः

भववीय.

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- | जिला विद्यालय निरीक्षक <u>- देनि रि</u>री
- 2 -सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गोर छा प्र
- 3- हाईस्कूल परीक्षा संस्थागत अनुभाग वास्तिमाली
- 4-सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद

क्षेत्रीय<sup>7</sup>सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी ।

पी०एस०यू०पी० (वा०)- 73 मा०िश०प०--18-10-2000-40,000 (कम्प्यू०/आफ०) ।

प्रेषक,

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में.

प्रबन्धक,

बाबा बच्चन प्रसाद इ०का०

रामपुर बड़हरा देवरिया।

पत्रांक -

आई०वी०/मान्यता/ ५६७

दिनांक-1-4- 2016

विषय :--

इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा—7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष— 2018 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा—7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

## सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा—7क (क) के प्रविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन / वर्ग / विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज—सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि / भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनयम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

### विशेष प्रतिबन्ध

संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना / प्रमाण गलत (क) अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की (ख) सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से

उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू० (रू० 5000=00 एवं रूपये 3000=00 प्रति वर्ग / प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(EI) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या—25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ०५ अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लीयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग इण्टर मानविकी वर्ग नवीन अनिवार्य विषय

वैकल्पिक विषय

साहि0 हिन्दी

संस्कृत, उर्दू, नागरिकशास्त्र, मूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र,

इतिहास, समाजशास्त्र एवं कला

इण्टर वैज्ञानिक नवीन

सामान्य हिन्दी

अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित

उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये टिप्पणी :-जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

(कामता रॉम पाल) अपर सचिव.

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीः

पृष्टांकन सं0- आई0वी0/मान्यता/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 🔊

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

संभागीय संयुक्त शिक्ष, निवशक, गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।

इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।

अंपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालयं, वाराणसी

# प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग

अनिवार्य विषय

वैकल्पिक विषय

इण्टर मानविकी वर्ग नवीन

साहि0 हिन्दी

संस्कृत, उर्दू, नागरिकशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र एवं कला

इण्टर वैज्ञानिक नवीन

सामान्य हिन्दी

अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित

उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये टिप्पणी :-जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

> (कामता राम पाल) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणर्स दिनांक-

2016

पृष्ठांकन सं0- आई०वी० / मान्यता /

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

संभागीय संयुक्त शिक्ष, निवशक, गोरखपुर

जिला विद्यालयं निरीक्षक, देवरिया।

इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेत्।

अपर सचिव. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी प्रेषक.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया

• सेवा में,

प्रबन्धक

बाबा बच्चन प्रसाद बाल किला मैंदिरहूं बड़हराहू शीखामपुर रोड देवरिया दिनांक 15-12-8 2008-09 पत्रांक / परि० ले० / 10 न 34 - 38

विषय:- स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि आपके आवेदन पत्र पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / उप बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति पर जिला मान्यता समिति ने अपनी बैठक दिनांक. 10-12-200 द्वारा आपके स्वावलम्बी प्राथमिक विद्यालय को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाएं संचालन हेतु प्रतिबन्धों सहित स्थायी मान्यता प्रदान किया है।

- 1- किसी भी प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिका की नियुक्ति सेवा नियमावली 1975 के अन्तर्गत की जायेगी।
- 2- विभागीय नियमों / निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के पाँच अनुभागों के लिये पाँच प्रशिक्षित अध्यापकों के पद अनुमन्य होगें। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त अनुभाग की स्वीकृति मिलने पर पद सृजन होने के बाद नियमानुसार प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति की जाये।
- 4- निरीक्षण अधिकारियों के लिये विद्यालय खुला रहेगा।
- 5-- विद्यालय में अग्निरोधक यंत्र की व्यवस्था की जाये।
- 6- शासकीय/विभागीय नियमों का पालन न करने की स्थिति में यह स्थायी मान्यता बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

(ए० ऍन० मौय) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया

पु०सं०/परि०ले०/

/2008-09

तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया।
- जिला अल्पसंख्यक / पिछड़ा कल्याण अधिकारी, देवरिया।
- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित स०वे०शि०अ० / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक / नगर शिक्षा अधिकारी देवार्य सिंदर देवरिया।

(ए० एन० मौर्य) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया